भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3612

जिसका उत्तर मंगलवार, 24 मार्च, 2026/3 चैत्र, 1948 (शक) को दिया गया

देश में यूपीआई धोखाधड़ी के बढ़ते मामले

3612. श्री अशोक सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में रिपोर्ट किए गए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेन-देन से संबंधित धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान दिया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूपीआई से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा इसमें शामिल कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान प्रणालियों के तीव्र विस्तार के बावजूद कुछ विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों द्वारा यूपीआई भुगतान स्वीकार करने में अनिच्छा के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच यूपीआई लेन-देन की व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन में वृद्धि के साथ, पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी सहित धोखाधड़ी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान रिपोर्ट की गई यूपीआई भुगतान धोखाधड़ी का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	घटनाओं की संख्या (लाखों में)	शामिल राशि (करोड़ रुपये में)
2022-23	7.25	573.00
2023-24	13.42	1,087.00
2024-25	12.64	981.00

(ग): सरकार, आरबीआई और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के परामर्श से, यूपीआई सहित डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने और उपयोग की नियमित रूप से निगरानी करती है। डिजिटल भुगतान की व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देने और समग्र इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। सरकार ने देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए डिजिधन मिशन की स्थापना की है। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और नागरिकों को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और फिनटेक की सहायता करने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। आरबीआई ने वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना के अभिनियोजन के लिए भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) भी लागू किया है।

(घ): यूपीआई लेनदेन सहित डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए, आरबीआई और एनपीसीआई द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राहक के मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच डिवाइस बाइंडिंग, पिन के माध्यम से दो-कारक प्रमाणीकरण, दैनिक लेनदेन सीमाएं और उपयोग के मामलों पर प्रतिबंध शामिल हैं। एनपीसीआई एआई/एमएल-आधारित मॉडल का उपयोग करके अलर्ट करने और लेनदेन को अस्वीकार करने के लिए सभी बैंकों को धोखाधड़ी निगरानी समाधान भी प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक लघु एसएमएस, रेडियो अभियानों और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रचार के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं।
